अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

. बालू । बनाम ।। रतन वगैर

किस्म मुकदमा 128 एल.आर.ए. नम्बर. 42/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2019/00346	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/5/2019	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा मेतरों का खेडा पटवार हल्का नपावली में स्थित की खाता संख्या 12 में अंकित आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 31, कुल किता–5 कुल रकबा 1.2900 हैक्टैयर भूमि स्थित होकर विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे । प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर उनकी मौजूदगी में मौजा मेतरों का खेडा पटवार हल्का नपावली में स्थित की खाता संख्या 12 में अंकित आराजी नम्बर 22, 23, 24, 25, 31, कुल किता–5 कुल रकवा 1.2900 हैक्टैयर भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थरगढी के पत्रादि एवं पक्षकारान् के सूचना पत्र न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें । इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी भदेसर	

Scanned by CamScanner